**फा.सं. ए-50013/31/2021-डीएम**

**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**डिजिटल मीडिया प्रभाग**

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 26 मई, 2021

## <u>सार्वजनिक सूचना</u>

**विषयः सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 18 के तहत डिजिटल मीडिया प्रकाशकों द्वारा सूचना का प्रस्तुतीकरण।**

आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. उपरोक्त नियमों की अधिसूचना के बाद से, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों और डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशकों के साथ संवाद किए हैं। मंत्रालय ने नियमों और उनके अनुपालन की अपेक्षाओं के संबंध में कई डिजिटल मीडिया प्रकाशकों और उनकी एसोसिएशनों के साथ भी संवाद किया है। लगभग 60 प्रकाशकों और उनकी एसोसिएशनों ने मंत्रालय को सूचित भी किया है कि उन्होंने नियमों के तहत स्व-विनियामक निकायों के गठन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। कुछ प्रकाशकों ने मंत्रालय को नियमों के तहत मंत्रालय में पंजीकरण के संबंध में भी लिखा है।

3. इस संबंध में, एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि डिजिटल मीडिया प्रकाशकों को मंत्रालय में पहले से पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 के नियम 18 में समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों द्वारा मंत्रालय को कतिपय सूचना प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है।

4. चूंकि समाचार पत्र प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत पंजीकृत होते हैं, और प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल मंत्रालय के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, 2011 के तहत अनुमति धारक हैं, डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों को प्रकाशित करने वाले ऐसे निकायों के लिए **परिशिष्ट-I** में दिए अनुसार सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अलग प्रपत्र तैयार किया गया है। अन्य समाचार प्रकाशकों के लिए, संगत प्रपत्र **परिशिष्ट-II** में दिया गया है, जबकि ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए, सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

- डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए परिशिष्ट-I, जो पारंपरिक मीडिया (टीवी और समाचार पत्र) पर भी समाचार प्रकाशित /प्रसारित करते हैं;
- अन्य डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए परिशिष्ट -II;
- ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफार्म) के लिए परिशिष्ट-III

5. प्रकाशक इस सूचना के जारी होने के 15 दिनों के भीतर लागू प्रपत्र में मंत्रालय को सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना को प्रकाशक की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पीडीएफ फाइल में ईमेल द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को भेजा जा सकता है:

- श्री अमरेन्द्र सिंह, उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (ईमेल-amarendra.singh@nic.in), अथवा
- श्री क्षितिज अग्रवाल, सहायक निदेशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (ईमेल-kshitij.aggarwal@gov.in) ।

6. किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के लिए, प्रकाशक उपर्युक्त अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

26/05/2021
(क्षितिज अग्रवाल)

सहायक निदेशक (डीएम)

ईमेल-kshitij.aggrawal@gov.in

**परिशिष्ट- I**

**<u>डिजिटल समाचार प्रकाशक, जो पारंपरिक मीडिया (टीवी और समाचार पत्र) पर भी समाचार प्रकाशित/प्रसारित करते हैं, द्वारा सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र</u>**

**I. मूल सूचना**

क. शीर्षक का नामः

ख. भाषा (भाषाएं) जिसमें सामग्री प्रकाशित की जाती हैः

ग. वेबसाइट यूआरएलः

घ. मोबाइल ऐप:

ङ. सोशल मीडिया अकाऊंट:

**II. निकाय संबंधी सूचना**

क. निकाय का नामः

ख. आरएनआई पंजीकरण संख्या या मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त टीवी चैनलः

**III. संपर्क सूचना** (भारत में)

क. संपर्क व्यक्ति:

ख. पता:

ग. दूरभाष सं. (लैंडलाइन):

घ. मोबाइलः

ङ. ईमेलः

**IV. शिकायत निवारण तंत्र**

क. शिकायत निवारण अधिकारी (भारत में)

ख. स्व-विनियामक निकाय का नाम जिसका प्रकाशक सदस्य हैः

ग. समाचार संपादक (संपादकों) का विवरणः

**(नोटः उपर्युक्त दिए गए विवरण में किसी भी बदलाव की स्थिति में, निकाय ऐसा कोई भी बदलाव होने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा)**

**परिशिष्ट- II**

<u>**डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र**</u>

**(परिशिष्ट-I में उल्लिखित को छोड़कर)**

**I. मूल सूचना**

क. शीर्षक का नामः

ख. भाषा (भाषाएं) जिसमें सामग्री प्रकाशित की जाती हैः

ग. वेबसाइट यूआरएलः

घ. मोबाइल ऐप:

ङ. सोशल मीडिया (सभी आऊटलेट) अकाऊंट:

**II. निकाय संबंधी सूचना**

क. निकाय का नामः

ख. पैन नंबर (वैकल्पिक):

ग. निगमन का माह और वर्षः

घ. डिजिटल समाचार प्रकाशक के रूप में प्रचालन शुरू होने का माह और वर्षः

ङ. कंपनी की पहचान संख्या (केवल कंपनियों के लिए):

च. निदेशक मंडल (कंपनियों के लिए):

**III. संपर्क सूचना** (भारत में)

क. संपर्क व्यक्ति:

ख. पता:

ग. दूरभाष सं. (लैंडलाइन):

घ. मोबाइलः

ङ. ई-मेलः

**IV. शिकायत निवारण तंत्र**

क. शिकायत निवारण अधिकारी (भारत में):

ख. स्व-विनियामक निकाय का नाम जिसका प्रकाशक सदस्य हैः

ग. समाचार संपादक (संपादकों) का विवरणः

**(नोटः उपर्युक्त दिए गए विवरण में किसी भी बदलाव की स्थिति में, निकाय ऐसे किसी भी बदलाव के होने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा)**

**परिशिष्ट- III**

**<u>ओटीटी प्लेटफार्म द्वारा सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र</u>**

**I. मूल सूचना**

क. ओटीटी प्लेटफार्म का नामः

ख. वेबसाइट यूआरएलः

ग. मोबाइल ऐप:

**II. निकाय संबंधी सूचना**

क. निकाय का नामः

ख. पैन नंबर (वैकल्पिक):

ग. निगमन का माह और वर्ष (भारतीय कंपनियों के लिए):

घ. पंजीकरण का देश (विदेशी निकायों के संबंध में)

ङ. भारत में प्रचालन शुरू करने का माह और वर्षः

च. कंपनी की पहचान संख्या (भारतीय कंपनियों के लिए):

छ. निदेशक मंडल के नाम (कंपनियों के लिए):

**III. संपर्क सूचना (भारत में)**

क. संपर्क व्यक्ति:

ख. पता:

ग. दूरभाष सं. (लैंडलाइन):

घ. मोबाइलः

ङ. ई-मेलः

**IV. शिकायत निवारण तंत्र**

क. शिकायत निवारण अधिकारी (भारत में):

ख. स्व-विनियामक निकाय का नाम जिसका प्रकाशक सदस्य हैः

ग. सामग्री प्रबंधक (प्रबंधकों) का विवरणः

**(नोटः उपर्युक्त दिए गए विवरण में किसी भी बदलाव की स्थिति में, निकाय ऐसा कोई भी बदलाव होने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा)**